

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 22.03.2026

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 21.03.2026 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना कासिमाबाद पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड में नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 0.315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर बरामद किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.03.2026 को प्रभारी निरीक्षक कासिमाबाद मय पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 99/2026 धारा 65(1)/333/351(3) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट में वांछित 01 नफर अभियुक्त कौशल गौड़ पुत्र विनय गौड़ निवासी ग्राम सिधउत थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर को मुखबिर खास की सूचना पर टोडार मोड़ मऊ कासिमाबाद मार्ग पर घेराबंदी कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया । खुद को घिरा देखकर अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया । पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ में संतुलित फायरिंग की गई तो बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया । जिसे तत्काल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-100/26 धारा-109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामदगी-

01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 0.315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त कौशल गौड़ पुत्र विनय गौड़ निवासी ग्राम सिधउत थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर उम्र 21

वर्ष अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0 99/2026 धारा 65(1)/333/351(3) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट

2.मु0अ0सं0-100/26 धारा-109(1) बीएनएस व 3/25 आम्स एक्ट

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर